

**CORRIGENDUM**

**Sub: Filling up of the post of Joint Director (Farm Information) in Directorate of Extension, Department of Agriculture & Farmers Welfare on deputation (ISTC).**

Reference is invited to this Department's vacancy circular of even No. dated 16.03.2023 on the above subject. The last date for receipt of applications for the above post stands extended. Applications for the post complete in all respects can now be sent within 60 days from the date of publication of this corrigendum in the Employment News/Rojgar Samachar. Full details of the vacancy are available on this Department's website 'www.agricoop.nic.in'.

2. The candidates who have already applied need not apply again. However, they should submit remaining documents, if any, within the extended time limit.

Dr YSP UH&F-Nauni, Solan  
O/o the Vice-Chancellor  
  
21 NOV 2023  
Diary No. 1578

*Ponni.d*  
*02/11/2023*

(D Ponni)

Under Secretary to the Govt. of India

Tel.-011-23382013

E-mail ID: [ponni.d@nic.in](mailto:ponni.d@nic.in)

**Copy forwarded to:**

1. All Ministries/Departments of the Central Government
2. Secretaries (Agriculture) of State Governments/ UT Administrators.
3. Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi.
4. Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer), North Block, New Delhi.
5. NIC, DOP&T, North Block, New Delhi, with the request to upload on their website.
6. All Officers in the Deptt. of Agriculture & Farmers Welfare. Applications may please be sent through the concerned Establishment Sections.
7. All attached/subordinate offices under the Deptt. of Agriculture & Farmers Welfare.
8. All Vice-Chancellors of Agriculture Universities/Recognised Research Institutions.
9. The Chief Administrative Officer, Ministry of Defence (DH, PC), New Delhi.
10. Estt. I/II Sections.
11. Estt. III for notice board.
12. Director (Administration), Directorate of Extension, Pusa, New Delhi (for uploading on their website).
13. NIC, DA&FW (for uploading on the website of Department of Agriculture & Farmers Welfare).
14. Director General, MANAGE, Hyderabad (for uploading on their website)
15. Guard File.

*I/c CIC Nauni.*

*Ponni.d*

*20/11/2023*

*1* *P/W*

फा.सं. 4-11/2020-विस्तार  
भारत सरकार  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली  
दिनांक: 2 नवंबर, 2023

शुद्धि पत्र

विषय: विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर संयुक्त निदेशक (फार्म सूचना) के पद को भरा जाना।

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 16.03.2023 के समसंख्यक रिक्ति परिपत्र की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उपरोक्त पद के लिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि बढ़ाई जाती है। इस पद के लिए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन अब इस शुद्धिपत्र के रोजगार समाचार/एम्प्लायमेन्ट न्यूज में प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर भेजे जा सकते हैं। इस रिक्ति से सम्बंधित पूर्ण विवरण इस विभाग की वेबसाइट 'www.agricoop.nic.in' पर उपलब्ध है।

ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने पहले ही आवेदन कर रखा है, को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, वे शेष दस्तावेज, यदि कोई हैं, को विस्तारित समय सीमा में प्रस्तुत कर दें।

4/11/2023

(डी पोत्री)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23382013

ई-मेल: [ponni.d@nic.in](mailto:ponni.d@nic.in)

प्रति प्रेषित:

- i. केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग।
- ii. राज्य सरकारों के सचिव (कृषि) / केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासक।
- iii. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
- iv. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- v. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, अपनी वेबसाइट में अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
- vi. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सभी अधिकारी। आवेदन पत्र संबंधित स्थापना अनुभागों के माध्यम से भेजे।
- vii. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।
- viii. कृषि विश्वविद्यालयों के / संस्थानों अनुसंधान प्राप्त मान्यता सभी कुलपति।
- ix. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय(डीएच, पीसी), नई दिल्ली।
- x. स्थापना-I/II अनुभाग।
- xi. स्थापना-III नोटिस बोर्ड के लिए।
- xii. निदेशक (प्रशासन), विस्तार निदेशालय, पूसा, नई दिल्ली ( अपनी वेबसाइट में अपलोड करने के लिए)।
- xiii. एनआईसी (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए)।
- xiv. महानिदेशक, मैनेज, हैदराबाद लिए) के करने अपलोड में वेबसाइट (अपनी गार्ड फाईल।
- xv. गार्ड फाईल।

रिक्ति परिपत्र

विषय: विस्तार निदेशालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग में सम्मिश्र पद्धति से सहायक निदेशक (रा. भा.) के पद को भरा जाना।

विस्तार निदेशालय, पूसा, नई दिल्ली में सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय में 7वीं केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन मैट्रिक्स में 10 वें स्तर या पूर्व-संशोधित वेतनमान 15600-39100 (पीबी-3) + ग्रेड वेतन रुपये 5400/- सहायक निदेशक (रा. भा.) का एक पद केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या पब्लिक सेक्टरों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारियों में से सम्मिश्र पद्धति [प्रतिनियुक्ति के साथ पदोन्नति] से भरा जाना प्रस्तावित है:-

1. (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में सदृश पद धारण करते हों; या  
(ii) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में (रुपये 9300-34800) पे बैंड 2 + ग्रेड पे 4600 रुपये (7वीं केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों:-

**अनिवार्य**

- i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम के रूप में, के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री।  
या  
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम, के रूप में, के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री।  
या  
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, हिंदी माध्यम में और अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम के रूप में, के साथ हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न विषय में मास्टर डिग्री।  
या  
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अंग्रेजी माध्यम में और हिंदी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम, के रूप में, के साथ हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न विषय में मास्टर डिग्री।  
या  
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अंग्रेजी और हिंदी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम और दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में, के साथ हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न विषय में मास्टर डिग्री; और
- ii. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या प्राइवेट सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसन्धान या शैक्षणिक संस्थाओं के अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद के कार्य और पारिभाषिक शब्दावली (पारिभाषिक कार्य) का उपयोग या प्रयोग करने का तीन वर्षों का अनुभव हो।



या

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसन्धान या शैक्षणिक संस्थाओं के अधीन हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिंदी या अंग्रेजी में अनुसन्धान में तीन वर्षों का शिक्षण अनुभव हो।

**वांछनीय**

संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हिंदी के अतिरिक्त किसी एक भाषा का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर पर अध्ययन।

2. विभागीय ज्येष्ठ अनुवादक जिसने पे- बैंड 2 (9300-34800 रुपए)+ग्रेड पे 4600 रुपए (7वीं केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 ) में 03 वर्ष नियमित सेवा की हो, पर भी बाह्य आवेदकों के साथ विचार किया जाएगा और यदि इस पद के लिए उसकी नियुक्ति हो जाती है, तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।

3. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आने वाले व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4. चयनित अधिकारी को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के समय समय पर यथासंशोधित दिनांक 17 जून, 2010 के का0ज्ञा0सं0 6/8/2009-स्था.(वेतन II) के अनुसार इस पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित कराने अथवा अपने पूर्व पद से संबंधित ग्रेड वेतन तथा प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहरित करने का विकल्प होगा।

5. इच्छुक और पात्र अधिकारियों, जिन्हें उनका चयन होने पर कार्यमुक्त किया जा सकता है, के आवेदन (तीन प्रतियों में) संलग्न प्रोफार्मा में नीचे दिए गए दस्तावेजों सहित उचित माध्यम से इस विज्ञापन के एम्प्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिन के अंदर 'अनुभाग अधिकारी (विस्तार), कमरा संख्या 332, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली' को अग्रेषित किए जाएं। **आवेदन अग्रेषित करते समय प्रायोजित संगठनों को यह सत्यापित तथा प्रमाणित करना चाहिए कि आवेदकों द्वारा प्रदत्त विवरण सही है। ये प्रमाणीकरण जीवन वृत्त प्रपत्र (बायोडाटा प्रोफार्मा) के अंतिम पृष्ठ संख्या छह पर, ऐसे नियोक्ता या कैडर नियंत्रक अधिकारी द्वारा होना चाहिए जो भारत सरकार के उप सचिव / निदेशक की रैंक के नीचे ना हो।** आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न किए जाने की आवश्यकता है:

- i. कैडर क्लियरेंस।
- ii. सतर्कता संबंधी निकासी।
- iii. सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र जो भारत सरकार के उप सचिव / निदेशक के पद के स्तर से कम के अधिकारी से हस्ताक्षरित न हो।
- iv. पिछले दस वर्षों के दौरान बड़ी/छोटी शास्ति के संबंध में विवरण।
- v. पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2017-18 से 2021-22 की एसीआर/एपीएआर रिपोर्ट की छाया प्रतियां जिसका प्रत्येक पृष्ठ ऐसे अधिकारी से सत्यापित होना चाहिए, जो भारत सरकार के अवर सचिव के स्तर से कम का ना हो। यदि किसी कारण से किसी अधिकारी की किसी विशिष्ट वर्ष अथवा वर्ष की अवधि की



साथ उस जवाब के लिए कोई रिपोर्ट नहीं प्रमाणपत्र (एनआरसी) सलग्न कर।  
vi. आवेदक के बायोडाटा में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता / विवरण / जानकारी के समर्थन में डिग्री प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र या किसी अन्य दस्तावेज की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी।

6. अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त अथवा अद्यतन गोपनीय रिपोर्टें अथवा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र और सतर्कता निकासी के बिना प्राप्त आवेदनों अथवा अन्यथा अपूर्ण पाए गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने पहले ही आवेदन कर रखा है, को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, वे शेष दस्तावेज, यदि कोई हैं, को निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत कर दें।

पौननी.डी  
021/1/2023  
(डी. पौननी)

अवर सचिव भारत सरकार

दूरभाष: 23382013

ई-मेल: [ponni.d@nic.in](mailto:ponni.d@nic.in)

प्रति प्रेषित:

- i. केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग।
- ii. राज्य सरकारों के सचिव (कृषि) / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक।
- iii. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
- iv. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- v. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, अपनी वेबसाइट में अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
- vi. अवर सचिव (सेवा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, NDCC-II भवन, बी विंग, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001।
- vii. रिटेनिंग एंड डेवलपमेंट विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली-110003।
- viii. राजभाषा विंग, विधायी विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- ix. एनआईसी सेल, राजभाषा विंग, विधान विंग, विधि और न्याय मंत्रालय को अपनी वेबसाइट में अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
- x. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सभी अधिकारी। आवेदन पत्र संबंधित स्थापना अनुभागों के माध्यम से भेजें।
- xi. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।
- xii. कृषि विश्वविद्यालयों के / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सभी कुलपति।
- xiii. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय (डीएच, पीसी), नई दिल्ली।
- xiv. स्थापना- I/II अनुभाग।
- xv. स्थापना-III नोटिस बोर्ड के लिए।
- xvi. निदेशक (प्रशासन), विस्तार निदेशालय, पूसा, नई दिल्ली (अपनी वेबसाइट में अपलोड करने के लिए)।
- xvii. एनआईसी (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए)।
- xviii. महानिदेशक, मैनेज, हैदराबाद (अपनी वेबसाइट में अपलोड करने के लिए)।
- xix. गार्ड फाईल।

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records and the role of the auditor in ensuring the integrity of the financial statements. It highlights the need for transparency and accountability in the reporting process.

2. The second part of the document details the specific procedures and methods used to verify the accuracy of the data. It includes a list of key areas to be audited and the corresponding evidence required for each.

3. The third part of the document provides a comprehensive overview of the findings and conclusions reached during the audit. It discusses any discrepancies identified and the reasons behind them, along with recommendations for improvement.

4. The fourth part of the document contains the final report and the auditor's signature. It summarizes the overall results of the audit and provides a clear statement of the auditor's opinion on the financial statements.

1. नाम व पद स्पष्ट अक्षरों में : टेलीफोन नंबर: ई-मेल आईडी:	
2. जन्म तिथि (ईस्वी मन में):	
3. i) सेवा में आने की तिथि	
ii) केन्द्र/राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख:	
4. शैक्षणिक अर्हताएं:	
5. क्या उक्त पद में लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य अर्हताएं संतोषजनक है (यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समकक्ष माना गया है तो इसके लिए प्राधिकारी को विवरण दें)	
विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र के किए गए उल्लेख के अनुसार अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव	अधिकारी द्वारा धारित अर्हता/अनुभव
अनिवार्य:	अनिवार्य:
(क) अर्हता	(ख) (क) अर्हता
अनुभव	(ख) अनुभव
वांछनीय:	वांछनीय:
(क) अर्हता	(क) अर्हता
(ख) अनुभव	(ख) अनुभव
5.1 टिप्पणी : इस कॉलम को रोजगार समाचार में परिपत्र में जारी करने और विज्ञापन में जारी करते समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा आर आर में किए गए उल्लेख के अनुसार अनिवार्य और वांछित अर्हताओं में सुधार की आवश्यकता है।	
5.2 डिग्री और स्नातकोत्तर अर्हताओं में उम्मीदवार के द्वारा वैकल्पिक/ मुख्य विषय तथा सहायक विषय के बारे में बताया जाए	

6. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि आपके द्वारा दी गई उक्त प्रविष्टियों के संदर्भ में क्या आप पद के लिए निर्धारित अनिवार्य तथा कार्य अनुभव योग्यता को पूरा करते हैं।	
6.1 उम्मीदवार द्वारा धारित अनिवार्य अर्हताओं/कार्य के अनुभव के संबंध में पुष्टि करते हुए उदृत विभाग आवेदित पद के संदर्भ में अपनी विशेष टिप्पणी/राय दें।(जैसा कि बायो -डाटा में उल्लेख किया गया है।)	



7. काल क्रमानुसार रोजगार का विवरण, यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर से यथा अधिप्रमाणित एक पृथक शीट संलग्न करें :-

कार्यालय/संस्थान	नियमित आधार पर धारित पद	से	तक	नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	आवेदन पर के लिए अपेक्षित कार्य का स्वरूप अपेक्षित अनुभव को दर्शाते हुए

महत्वपूर्ण : एसीपी/एमएसीपी के तहत दिया गया वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अधिकारी का व्यक्तिगत मामला है अतः इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान का ही उल्लेख किया जाए। वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन जहां उम्मीदवार द्वारा लाभ लिया गया है, के साथ एसीपी/एमएसीपी का ब्यौरा निम्न अनुसार दर्शाएं।

कार्यालय/संस्थान	ए.सी.पी./ एम.ए.सी.पी.के आधार पर धारित पद का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	से	तक

8. वर्तमान रोजगार का स्वरूप अर्थात् तदर्थ या अस्थायी या अर्धस्थायी या स्थायी:	
9. यदि मौजूदा रोजगार प्रतिनियुक्ति /संविदा के आधार पर धारित हो तो उल्लेख कीजिए:	

(क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि:	(ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि:	(ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आप संबंधित हैं:	(घ) पैतृक संगठन में नियमित आधार पर धारित पद का नाम तथा वेतन

9.1 टिप्पणी : यदि अधिकारी पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर हैं तो ऐसे अधिकार का आवेदन मूल संवर्ग/विभाग द्वारा संवर्ग की अनापत्ति, सतर्कता निकासी और मत्पनिष्ठा प्रमाण पत्र सहित भेजा जाना चाहिए।

9.2 टिप्पणी। उपयुक्त कालम 9 (ग) और (घ) के अन्तगत उनके मूल केंद्र/संगठन के अधिकार में रखत हुए केंद्र/संगठन के बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारित करने वाले व्यक्ति के सभी मामलों में सूचना दी जानी चाहिए।

10. यदि आवेदक द्वारा विगत में प्रतिनियुक्ति पर कोई पद धारित किया गया हो तो पिछली प्रतिनियुक्ति से लौटने की तिथि तथा अन्य विवरण।	
---	--

11. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण। कृपया उल्लेख करें कि क्या निम्नलिखित के तहत कार्य कर रहे हैं :- (क) केन्द्र सरकार (ख) राज्य सरकार (ग) स्वायत्तशासी संगठन (घ) सरकारी उपक्रम (ङ) विश्वविद्यालय (च) अन्य	
12. कृपया बताएं कि क्या आप उसी विभाग में कार्यरत हैं और सम्पोषक श्रेणी में हैं या सम्पोषक श्रेणी के सम्पोषन में हैं।	
13. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां तो वह तारीख बताएं जब से संशोधन हुआ और संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें।	
14. इस समय आहरित की जा रही प्रतिमास कुल परिलिब्धियां:	

वेतन बैंड में मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल परिलिब्धियां

15. यदि आवेदक किसी संगठन से सम्बन्धित है जो केन्द्र सरकार के वेतनमान का अनुपालन नहीं करता है तो संगठन द्वारा जारी की गई अद्यतन वेतन पर्ची जमा कराए जिसमें निम्नलिखित ब्यौरा दिया गया हो।

वेतनमान और वेतन वृद्धि दर के साथ मूल वेतन	संहगाई भत्ता/अंतरिम राहत/ अन्य भत्ते (पूरे ब्यौरे के साथ) आदि	कुल परिलिब्धियां

<p>16- क. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो जिसे पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहेंगे इसमें</p> <p>(i) अतिरिक्त शैक्षणिक अर्हता  (ii) व्यवसायिक प्रशिक्षण और  (iii) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में निर्धारित कार्य अनुभव के बारे में सूचना प्रदान करें  (नोट: यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग शीट संलग्न कर सकते हैं।)</p>	
<p>16 (ख). उपलब्धियां:</p> <p>उम्मीदवार निम्नलिखित के संबंध में सूचना दर्शाए:</p> <p>(i) अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्ट और विशेष परियोजना।  (ii) पुरस्कारों/छात्रवृत्तियों/ सरकारी प्रशस्तिपत्र  (iii) व्यवसायिक निकायों/संस्थानों/सोसाइटी के साथ संबंध;  (iv) अपने नाम से या संगठन के लिए प्राप्त पंजीकृत पेटेंट  (v) सहकारी मान्यता को शामिल करते हुए कोई अनुसंधान/नवीन उपाय  (vi) कोई अन्य सूचना  (नोट: यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग शीट संलग्न कर सकते हैं।)</p>	
<p>17. कृपया उल्लेख करें क्या आप प्रतिनियुक्त (आईएसटीसी) आम्लेलन/पुनर्नियोजन के लिए आवेदन कर रहे हैं? (केंद्र/राज्य सरकारों के अंतर्गत अधिकारी ही 'आम्लेलन' के लिए पात्र है। गैर सरकारी संगठनों के उम्मीदवार अल्पावधि संबिदा के पात्र है)</p>	

#('एसटीसी'/आम्लेलन/पुनर्नियोजन का विकल्प उपलब्ध है यदि केवल रिक्ति परिपत्र में विशेष रूप से 'एसटीसी' अथा 'आम्लेलन' या 'पुनर्नियोजन' द्वारा रिक्ति का उल्लेख किया गया हो।)



18. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से हैं	
--	--

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और मैं इस बात से अच्छी प्रकार से अवगत हूँ कि इस पद पर चयन के समय पर मेरे द्वारा प्रस्तुत अनिवार्य अर्हता/कार्य अनुभव से संबंधित दस्तावेजों से समर्थित जीवनवृत्त में प्रस्तुत सूचना चयन समिति द्वारा आकलित किया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई सूचना/ब्यौरा सत्य है और मेरी जानकारी में सत्य है मेरे चयन पर कोई भी सत्य न ही छुपाया गया है और न ही रोका गया है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पता.....

नियोक्ता/कैडर नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा प्रमाणन

आवेदकों द्वारा प्रदत्त सूचना विवरण सही है और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्य सही हैं। वह रिक्ति परिपत्र में उल्लेख किए गए शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हैं यदि चयन होता है तो उन्हें तत्काल छोड़ा जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

- (i) श्री/श्रीमती ..... के विरुद्ध कोई मतर्कता अथवा अनुशासनिक मामला लम्बित/विचारधीन नहीं है।
- (ii) उनका/उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।
- (iii) उनका/उनकी सीआर डोजियर मूल में संलग्न है/भारत सरकार के अवर सचिव अथवा उपर रैंक के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत मत्यापित पिछले 5 वर्ष के एसीआर की छाया प्रति संलग्न है।
- (iv) पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर कोई बड़ी/छोटी शक्ति नहीं लगाई गई है अथवा पिछले 10 वर्षों के दौरान उनपर लगाई गई छोटी/बड़ी शक्ति की सूची संलग्न है। (जैसा भी मामला हो)

प्रतिहस्ताक्षर

(नियोक्ता /कैडर नियंत्रण प्राधिकारी, मोहर सहित)

Krishi Bhawan, New Delhi  
Dated: 09 November, 2023

**VACANCY CIRCULAR**

Sub: Filling up of the post of Assistant Director (OL) in Directorate of Extension, Department of Agriculture & Farmers Welfare by Composite Method.

One post of Assistant Director (OL) in the pay scale of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay of Rs.5400/- (Level 10 in Pay Matrix recommended by 7th CPC), General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial in Directorate of Extension, Pusa, New Delhi is proposed to be filled up by Composite method [Deputation plus promotion] from amongst the officers from the Central or State Governments or Union-territories or Public Sector Undertakings or Semi-Government autonomous and State organizations or Agricultural Universities or recognized research institutions or Councils:

- a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or,  
(ii) With three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) + Grade Pay Rs. 4600/- (Level 7 in Pay Matrix recommended by 7th CPC); and  
b) Possessing the following educational qualifications and experience:-

**Essential:**

(1) Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.

OR

Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

OR

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

OR

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level;

OR

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subject or either of the two as a medium of a examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and

(2) Three years experience of using or applying terminology (terminological works) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central or State Governments or autonomous Body or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognized research or educational institutions.

OR

(contd..2/-)



Three years experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central or State Governments or autonomous Body or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognized research or educational institutions.

Desirable:

Studied one of the languages other than Hindi included in the 8<sup>th</sup> Schedule of the Constitution at 10<sup>th</sup> level from a recognized board.

2. The Departmental Senior translator with three years regular service in Pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay Rs. 4600/- shall also be considered along with outsiders and if he or she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

3. The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation *including period of deputation in another ex-cadre post held* immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. The upper age limit for appointment by deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications.

4. Officers selected will have the option to draw his grade pay plus deputation(duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the post in accordance with the Department of Personnel and Training's O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II) dated 17<sup>th</sup> June 2010, as amended from time to time.

5. Applications of interested and eligible officers, who could be spared in the event of their selection, may be sent, through proper channel, in the enclosed proforma (in Triplicate/set of three copies) along with the documents mentioned below so as to reach the "Section Officer (Extension), Room No. 332, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi" within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News/RojgarSamachar. **While forwarding the applications, the sponsoring organizations should verify and certify that the particulars furnished by the applicant are correct. The Certification shall be done by the Employer/Cadre controlling officer not below the rank of Deputy Secretary/Director to the Govt. of India at the last page No. 5 of Bio-data Performa.** The applications should be sent along with the following document:

- i. Cadre Clearance
- ii. Vigilance Clearance
- iii. Integrity Certificate signed by an officer not below the rank of Deputy Secretary/Director to the Government of India
- iv. Major/Minor Penalty Statement during last ten years
- v. Photocopies of ACRs/APARs of last five years i.e. from 2017-18-2021-22 duly attested on each page by an officer not below the rank of an Under Secretary to the Government of India. If for some reasons, the ACRs/APARs of the officer have not

(Contd..3/---)

- vi. been written for a particular year or a part of a year, a 'No Report Certificate' (NRC) for the period may be sent along with the ACRs/APARs of the corresponding previous year (s).
- vii. Self attested photocopies of the Degree Certificates, experience certificates or any other document in support of educational qualification/details/information as mentioned in the Bio-Data of the applicant.

6. Applications received after the last date or without the above mentioned documents or otherwise found incomplete, will not be considered. **The candidates who have already applied need not apply again. However, they should submit remaining documents, if any, within the stipulated time limit.**

*Ponni.d*  
*07/11/2013*

(D. Ponni)

Under Secretary to the Govt. of India

Tel.-23382013

E-mail: [ponni.d@nic.in](mailto:ponni.d@nic.in)

**Copy forwarded to:**

1. All Ministries/Departments of the Central Government
2. Secretaries (Agriculture) of State Governments/ UT Administrators.
3. Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi.
4. Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer), North Block, New Delhi.
5. NIC, DOP&T, North Block, New Delhi, with the request to upload on their website.
6. Under Secretary (Services), Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, B-Wing, NDCC-II Bhawan, B-Wing, Jai Singh Road, New Delhi-110001.
7. Division of Retraining and Redevelopment, Department of Personnel and Training, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003.
8. Official Language Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, Shastri Bhawan, New Delhi.
9. NIC Cell, Official Language Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, Shastri Bhawan with the request to upload on their websites.
10. All Officers in the Deptt. of Agriculture & Farmers Welfare. Applications may please be sent through the concerned Establishment Sections.
11. All attached/subordinate offices under the Deptt. of Agriculture & Farmers Welfare.
12. All Vice-Chancellors of Agriculture Universities/Recognised Research Institutions.
13. The Chief Administrative Officer, Ministry of Defence (DH, PC), New Delhi.
14. Estt. I/II Sections.
15. Estt. III for notice board.
16. Director (Administration), Directorate of Extension, Pusa, New Delhi (for uploading on their website).
17. NIC, DAC&FW (for uploading on the website of Department of Agriculture & Farmers Welfare).
18. Director General, MANAGE, Hyderabad (for uploading on their website)
19. Guard File.





**BIO-DATA/ CURRICULUM VITAE PROFORMA**

1. Name and Address (in Block Letters) <i>with email &amp; contact no.</i>	
2. Date of Birth (in Christian era)	
3. i) Date of entry into service	
ii) Date of retirement under Central/State Government Rules	
4. Educational Qualifications	
5. Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied. (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same)	
Qualifications/ Experience required as mentioned in the advertisement/ vacancy circular	Qualifications/ experience possessed by the officer
<b>Essential</b>	<b>Essential</b>
A) Qualification	A) Qualification
B) Experience	B) Experience
<b>Desirable</b>	<b>Desirable</b>
A) Qualification	A) Qualification
B) Experience	B) Experience
<p>5.1 Note: This column needs to be amplified to indicate Essential and Desirable Qualifications as mentioned in the RRs by the Administrative Ministry/Department/Office at the time of issue of Circular and issue of Advertisement in the Employment News.</p> <p>5.2 In the case of Degree and Post Graduate Qualifications Elective/ main subjects and subsidiary subjects may be indicated by the candidate.</p>	
6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requisite Essential Qualifications and work experience of the post.	
<p>6.1 Note: Borrowing Departments are to provide their specific comments/ views confirming the relevant Essential Qualification/ Work experience possessed by the Candidate (as indicated in the Bio-data) with reference to the post applied.</p>	

7. Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

Office/Institution	Post held on regular basis	From	To	*Pay Band and Grade Pay/Pay Scale of the post held on regular basis	Nature of Duties (in detail) highlighting experience required for the post applied for

**\*Important:** Pay-band and Grade Pay granted under ACP/MACP are personal to the officer and therefore, should not be mentioned. Only Pay Band and Grade Pay/ Pay scale of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/MACP with present Pay Band and Grade Pay where such benefits have been drawn by the Candidate, may be indicated as below;

Office/Institution	Pay, Pay Band, and Grade Pay drawn under ACP / MACP Scheme	From	To

8. Nature of present employment i.e. Ad-hoc or Temporary or Quasi-Permanent or Permanent			
9. In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state-			
a) The date of initial appointment	b) Period of appointment on deputation/contract	c) Name of the parent office/organization to which the applicant belongs.	d) Name of the post and Pay of the post held in substantive capacity in the parent organisation
<p><b>9.1 Note:</b> In case of Officers already on deputation, the applications of such officers should be forwarded by the parent cadre/ Department along with Cadre Clearance, Vigilance Clearance and Integrity certificate.</p> <p><b>9.2 Note:</b> Information under Column 9(c) &amp; (d) above must be given in all cases where a person is holding a post on deputation outside the cadre/ organization but still maintaining a lien in his parent cadre/ organisation</p>			

10. If any post held on Deputation in the past by the applicant, date of return from the last deputation and other details.

**11. Additional details about present employment:**

Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column)

- a) Central Government
- b) State Government
- c) Autonomous Organization
- d) Government Undertaking
- e) Universities
- f) Others

12. Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.

13. Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale

14. Total emoluments per month now drawn

Basis Pay in the PB	Grade Pay	Total Emoluments

15. In case the applicant belongs to an Organisation which is not following the Central Government Pay-scales, the latest salary slip issued by the Organisation showing the following details may be enclosed.

Basic Pay with Scale of Pay and rate of increment	Dearness Pay/interim relief /other Allowances etc., (with break-up details)	Total Emoluments

**16.A Additional Information, if any, relevant to the post you applied for in support of your suitability for the post.**  
(This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii)



<p>professional training and (iii) work experience over and above prescribed in the Vacancy Circular/Advertisement)</p> <p>(Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient)</p>	
<p><b>16.B Achievements:</b> The candidates are requested to indicate information with regard to;</p> <p>(i) Research publications and reports and special projects (ii) Awards/Scholarships/Official Appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/Institutions/societies and; (iv) Patents registered in own name or achieved for the organization (v) Any research/ innovative measure involving official recognition vi) any other information. (Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)</p>	
<p>17. Please state whether you are applying for deputation (ISTC)/Absorption/Re-employment Basis.# (Officers under Central/State Governments are only eligible for "Absorption". Candidates of non-Government Organizations are eligible only for Short Term Contract)</p>	
<p># (The option of 'STC' / 'Absorption'/'Re-employment' are available only if the vacancy circular specially mentioned recruitment by "STC" or "Absorption" or "Re-employment").</p>	
<p>18. Whether belongs to SC/ST</p>	

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the information furnished in the Curriculum Vitae duly supported by the documents in respect of Essential Qualification/ Work Experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/ details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed/ withheld.

(Signature of the candidate)

Address \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

**Certification by the Employer/ Cadre Controlling Authority**

The information/ details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/she possesses educational qualifications and experience mentioned in the vacancy Circular. If selected, he/she will be relieved immediately.

**2. Also certified that;**

- i) There is no vigilance or disciplinary case pending/ contemplated against Shri/Smt. \_\_\_\_\_
- ii) His/ Her integrity is certified.
- iii) His/ Her CR Dossier in original is enclosed/photocopies of the ACRs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Govt. of India or above are enclosed..
- iv) No major/ minor penalty has been imposed on him/ her during the last 10 years Or A list of major/ minor penalties imposed on him/ her during the last 10 years is enclosed. (as the case may be)

Countersigned

\_\_\_\_\_  
(Employer/ Cadre Controlling Authority with Seal)

